संख्या-113/2021/605रासनि/23-1-21-75रासनि/20

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 27 मार्गों के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(संलग्न की तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक के विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 27 मार्गों के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 29,50,06,000/- (रूपये उन्नतीस करोड़ पचास लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 1,47,51,000/- (रूपये एक करोड सैतालीस लाख इक्यावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2021 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) लागत का आकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर औचित्य का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(9) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन मे किसी0 भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एव क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होगे।

(10) इस निधि से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा शासनादेश सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.20 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि तालिका के क्रमांक-1 व 2 पर उल्लिखित जनपद लखनऊ के उक्त मार्गो की मरम्मत के साथ ही मार्ग स्वामित्व के हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव ।

संख्या- रासनि(1)/23-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-113/2021/605रासनि/23-1-21-75रासनि/20, दिनांक 25.03.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	मुख्य अभियंता (मु0–1), लो0नि0 वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5		
1	6752सी/352सी/लखनऊ (भाग–39/20–21, दिनांक 18.03.21	Lucknow	गांधी सेतु अण्डरपास से नवनिर्मित उत्तर रेलवे लाइन दिलकुशा–बाराबंकी प्रखण्ड के मध्य रेल उपरिगामी से होते हुए जनवेश्वर मिश्र पार्क गेट नं0–4 तक मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य	2.952	437.89	21.89
2	6752सी/352सी/लखनऊ (भाग–39/20–21, दिनांक 18.03.21	Lucknow	1090 चौराहे से गांधी सेतु होते हुए डा0 अम्बेडकर चौराहे तक मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य	1.250	197.13	9.86
3	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Barabanki	बदोसराय उधौली मार्ग के मार्ग के किमी0–3 से 17 मे स्थित पांच सकरी पुलियों का चौड़ीकरण/निर्माण कार्य	Culvert	96.16	4.81
4	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Barabanki	नचना रोड से बांध होते हुए चौकाघाट गनेशपुर तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	4.100	45.84	2.29
5	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Barabanki	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत टेरा दादरा मार्ग के किमी0–2(500), 3,4,5 एवं 8(135) में सतह सुधार का कार्य	3.635	110.25	5.51
6	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Ambedkar Nagar	बड़ेरिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	7.000	70.75	3.54
7	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Amethi	सिन्दुरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	4.600	70.78	3.54
8	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Barabanki	अमौली कीरतपुर कुम्भरांवा बखारेपुर महादेवा सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 से 4(900) में विशेष मरम्मत का कार्य	3.900	42.57	2.13
9	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Ayodhya	बारून शाहगंज इसौली के किमी0–7(300),8(500),9(200) के आबादी भाग में सी0सी0 रोड सहित विशेष मरम्मत का कार्य	1.000	84.52	4.23
10	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Gorakhpur	अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त साऊखोर सेमराघाट से असवनपार मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	0.950	50.43	2.52
11	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Gorakhpur	कैली सम्पर्क मार्ग के किमी0–2 से गाडर होते हुये बेलवाडांडी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	3.200	47.39	2.37
12	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Gorakhpur	चनरहट प्राथमिक विद्यालय से काली मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	0.650	46.11	2.31
13	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Gorakhpur	गोरखपुर खजनी मार्ग के किमी0–11 से ककना सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	1.100	55.10	2.76
14	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Amethi	गुवावां जयसिंह सम्पतिपुर सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य	3.000	106.20	5.31
15	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Sidhharth Nagar	कोहड़ोरा सोहना मार्ग से गौरा बरहरी पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	1.000	42.20	2.11
16	6703सी/371सी–बाराबंकी भाग–48/20, दि 16.03.21	Sidhharth Nagar	बी0टी0आई0बी0 से सिरसिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	0.600	42.84	2.14
17	6773सी/27सी/नवीनीकरण/आगणन/भाग–13/20–21, दिनांक 18.03.21	Varanasi	पुलिस लाइन चौराहे से दशाश्वमेघ पार्किंग स्थल तक सामान्य मरम्मत से नवीनीकरण का कार्य	5.00 (लीनियर)	313.57	15.68
18	6773सी/27सी/नवीनीकरण/आगणन/भाग–13/20–21, दिनांक 18.03.21	Lucknow	गांधी सेतु से निर्मित 8 लेन सेतु होते हुए एल0डी0ए0 कार्यालय के सामने तक मार्ग के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य	1.05 (लीनियर)	90.26	4.51
19	6773सी/27सी/नवीनीकरण/आगणन/भाग–13/20–21, दिनांक 18.03.21	Lucknow	लखनऊ फैजाबाद मार्ग के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य	3.96 (लीनियर)	448.21	22.41
20	6773सी/27सी/नवीनीकरण/आगणन/भाग–13/20–21, दिनांक 18.03.21	Lucknow	महानगर फरीदनगर मार्ग के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य	0.88 (लीनियर)	59.94	3.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र. सं.	मुख्य अभियंता (मु0–1), लो0नि0 वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5		
21	6722सी/352सी, दिनांक 17.03.21	Lucknow	माल इटौंजा किमी0–12, 13 व 14 का कार्य	3.00	103.66	5.18
22	6722सी/352सी, दिनांक 17.03.21	Azamgarh	कोयलसा भरौली संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.85	53.78	2.69
23	6591(1)सी/361सी, दिनांक 12.03.21	Mirzapur	अमरावती पाषाण मार्ग किमी0–1(200), 4(500), 5, 6, 7, 8, 9(344) का विशेष मरम्मत का कार्य	5.04	69.09	3.45
24	6591(1)सी/361सी, दिनांक 12.03.21	Mirzapur	हलिया अदवा सोनगढ़ा मार्ग से एन0एच0–7 से नैड़ी कठारी मार्ग (रतेह चौराहा के आबादी भाग)	0.725	74.63	3.73
25	6440सी/360सी, दिनांक 08.03.2021	Gazipur	जमानियां देवैथा माइनर से दाउदपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य किमी0–1,2,3 (150)	2.15	40.05	2.00
26	6412सी/341सी/बिजनौर (भाग–19/20–21, दिनांक 05.03.21	Bijnaur	गल्लाखेड़ी नहर के पुल से खानपुर मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य	5.00	84.51	4.23
27	6410सी/341सी/बिजनौर (भाग–7/20–21, दिनांक 05.03.21	Bijnaur	अफजलगढ़ कालागढ़ मार्ग के किमी0–5 से रसूलपुर रसूलाबाद कादराबाद मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	6.50	66.20	3.31
			योग		**2950.06**	**147.51**

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।